

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार  
महालेखाकार का कार्यालय,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-.....

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शी

द्वारा,

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

मांग संख्या-22 के अधीन मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप शीर्ष-0002 गृह (विशेष) विभाग, विपत्र कोड संख्या-एन0-2052000900002 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में प्रावधानित राशि 50,00,000 (पचास लाख रुपये) में से इसी मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप शीर्ष-0002 गृह (विशेष) विभाग, विपत्र कोड संख्या- एन0-2052000900002 के अन्तर्गत "0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति" इकाई में ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), "1101-यात्रा व्यय" इकाई में ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) एवं "1601-प्रकाशन एवं मुद्रण" इकाई में ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली के भाग-1, नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2.

इस स्वीकृति के उपरान्त मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप शीर्ष-0002 गृह (विशेष) विभाग, विपत्र कोड संख्या- N.-2052000900002 मांग संख्या-22 के अन्तर्गत 1301-कार्यालय व्यय मद में ₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये) अदायगियाँ के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹45,00,000/- (पैंतालीस लाख रुपये) मात्र का उपबंध शेष रह जायेगा तथा "0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति" इकाई में ₹7,00,000/- (सात लाख रुपये), "1101-यात्रा व्यय" इकाई में ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) एवं "1601-प्रकाशन एवं मुद्रण" इकाई में ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध हो जाएगा।

3.

इस स्वीकृत्यादेश के द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मात्र का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक :-...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिववालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-30/12/16.....

ज्ञापांक :- 841...../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/बजट शाखा वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई. टी., मैनेजर, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना/लेखा शाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा) विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में)/दफ्तरी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव